NOTICE FOR INVITING APPLICATIONS FOR REGISTRATION OF DISTRIBUTORS / MANUFACTURERS OVER WCR ZONE JABALPUR

West Central Railway, Medical Department, is going to procure Lab Items & Chemicals, Surgical Dressings & Implants, Surgical Disposable & Surgical Non Disposable items, Ligatures & Suture Materials, General Appliances, X-Ray, Cardiology, ECG items etc., Dentistry, Nephrology & Urology items, OT Consumables, Miscellaneous Items, through IREPS (Indian Railways E Procurement System). In this connection, Applications are invited for registration of Distributors / Manufactures, for including their names in the empanelment of registered firms to enable them to participate in tenders though IREPS, for the supply of the above mentioned items to Medical Department of West Central Railway for the period of three (03) years.

The following documents and conditions are mandatory for registration:-

1. Drug License No. & it's Validity.
2. Authorization letter from the manufacturers.
3. The average annual turnover of the firm for the previous three years should be Rs.5 Crores and above for manufacturers and Rs.50 lakhs and above for marketing firms /agencies (distributors).
4. The firm must not have been convicted and a case should not be pending under the Drugs & Cosmetic Act & Rules.
5. Rs.5,000/- need to be deposited by the firm as Registration fee for registering the firm for a period of 3 years that will be taken only after receipt of written confirmation from CMD's office.

In case of doubt, CMD will have the right to inspect the manufacturing premises. All the registered firms (Distributors /Manufacturers) are advised to register with IREPS by obtaining Class III Digital signature so as to participate in E-procurement to be implemented.

6. **The Last date of receipt of application is 30.06.2015.**

7. Application completed in all respect along with required documents should be Sent to the **Office of the Chief Medical Director, West Central Railway, GM Office Building, Indira Market, Jabalpur – 482001.**

8. For any enquiry related to the above mentioned subject please contact at Cell no. + 91 97524 15516 & +91 97524 15517 in the office hours.

9. This Document can be downloaded from the Website of Medical Department of West Central Railway.

26/5/15

Chief Medical Director
WCR/ Jabalpur

PROFORMA FOR APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF DISTRIBUTORS/ MANUFACTURERS OVER WCR ZONE JABALPUR

1	Name of the Distributors/ firm , Address, City, State, Zip/Postal Code	
2	Phone Nos with STD codes. Fax Nos. with STD codes and E-mail address of the Distributors/ firm as well as Contact person.	
3	Drug License No. & Validity	
4	Authorization letter from the manufacturers	
5	Average annual turnover of the distributors / firm for the previous three years (in Rs.)	
6	Audited Finance Report for the last three years/Certificate issued by C.A./ Income Tax Returns for the three years	
7	Non Conviction letter / Declaration letter	
8	Performance Certificate (Government / Railway)	
9	High Value Purchase order copy (Government/Railway) if any	
10	Pan Card (copy to be enclosed)	
11	VAT/ CST-TIN (copy to be enclosed)	

पश्चिम मध्य रेल जोन जबलपुर में वितरकों/विनिर्माताओं के पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिये सूचना/नोटिस :

पश्चिम मध्य रेल का चिकित्सा विभाग आईआरईपीएस (भारतीय रेल ई खरीद प्रणाली) के माध्यम से प्रयोगशाला/लैब सामग्री/रासायनिक पदार्थ, सर्जिकल ड्रेसिंग व इम्प्लांट, सर्जिकल डिस्पोजल व नॉन-डिस्पोजल सामग्री पट्टी एवं टांका लगाने संबंधी सामग्री, सामान्य उपकरण, एक्स-रे, हृदय रोग विज्ञान, ईसीजी आदि सामग्री, दंत चिकित्सा, नेफ्रोलॉजी व मूत्र विज्ञान (यूरोलॉजी)सामग्री, ऑपरेशन थियेटर से संबंधित तथा विविध सामग्रियां खरीदने जा रहा है। इस संबंध में वितरकों/विनिर्माताओं के पंजीकरण के लिये आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ताकि पश्चिम मध्य रेल के चिकित्सा विभाग को तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए उपयुक्त सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदाओं में आईआरईपीएस के माध्यम से भाग लेने के लिए पंजीकृत फर्मों के पैनल/सूची में उनके (वितरकों/विनिर्माताओं) नाम सम्मिलित किये जा सके ।

पंजीकरण के लिए निम्न दस्तावेज एवं शर्तें अनिवार्य हैं :

01. दवा लाईसेंस संख्या एवं इसकी वैधता
02. विनिर्माताओं से प्राधिकार पत्र
03. विनिर्माताओं के लिए पिछले तीन वर्षों में फर्म का औसत वार्षिक टर्न ओव्हर रू 5 करोड़ और अधिक होना चाहिए तथा विपणन फर्मों/एजेंसियों (वितरकों) के लिए उक्त टर्न ओव्हर रू 50 लाख और इससे अधिक होना चाहिए ।
04. फर्म को दोषी नहीं पाया गया हो और दवा एवं प्रसाधन अधिनियम तथा नियम के अंतर्गत कोई प्रकरण लंबित न हो ।
05. फर्म को तीन (03) वर्षों लिए पंजीकृत करने हेतु पंजीकरण शुल्क के रुप में फर्म को रू 5,000/- जमा करना जरूरी है । जिसे मुख्य चिकित्सा निदेशक कार्यालय से लिखित पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही लिया जायेगा ।
    शंका की दशा में, मुख्य चिकित्सा निदेशक के पास विनिर्माण परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा । सभी पंजीकृत फर्मों (वितरकों/विनिर्माताओं) को सूचित किया जाता है कि वे क्लास III डिजिटल हस्ताक्षर लेकर आईआरईपीएस के साथ पंजीकरण करा लें ताकि वे लागू की जाने वाली ई-खरीद में भाग ले सकें ।
06. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथ 30.06.2015 है ।
07. आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज के साथ **कार्यालय मुख्य चिकित्सा निदेशक, पश्चिम मध्य रेल, महाप्रबंधक कार्यालय, इंदिरा मार्केट, जबलपुर- 482001** को भेजा जावे ।
08. उपयुक्त विषय से संबंधित किसी प्रकार के पूछताछ के लिए कृपया कार्यालयीन समय में निम्न सेल नं. पर संपर्क कर सकते हैं । +91 9752415516 एवं +919752415517 ।
09. यह दस्तावेज पश्चिम मध्य रेल के चिकित्सा विभाग के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है ।

26/5/15

मुख्य चिकित्सा निदेशक
पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

<u>पश्चिम मध्य रेल जोन जबलपुर में वितरकों/विनिर्माताओं के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रोफार्मा</u>

1	वितरक/विनिर्माता का नाम एवं पूरा पता, डाक पिनकोड सहित	
2	वितरक/विनिर्माता का फोन एवं फैक्स नं. एसटीडी कोड सहित तथा ई-मेल पता एवं संपर्क करने हेतु संबंधित व्यक्ति का नाम	
3	दवा लाईसेंस संख्या एवं इसकी वैधता	
4	विनिर्माताओं द्वारा दिया गया प्राधिकार पत्र	
5	वितरक/विनिर्माता का पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओव्हर (रुपये में)	
6	वितरक/विनिर्माता का पिछले तीन वर्षों का वित्तिय ऑडिट रिपोर्ट/सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र/तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न	
7	वितरक/विनिर्माता फर्म को दोषी नहीं पाये जाने का पत्र/घोषणा पत्र	
8	कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र (सरकारी/रेलवे)	
9	अधिक मूल्य के खरीद आदेश की प्रतिलिपी (सरकारी/रेलवे) यदि कोई हो	
10	पैन कार्ड की प्रतिलिपी	
11	वैट/सीएसटी-टिन की प्रतिलिपी	